कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17285/2019 राजेन्द्र कुमार दुबे, प्रधानाचार्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2020 द्वारा याचिकार्थी श्री दुबे की याचिका को 'Dismissed as withdrawn with liberty to file a representation' के आधार पर खारिज करते हुए याचिकार्थी को अपने पदस्थापन स्थान राउमावि लुना खुर्द, पोकरण जिला जैसलमेर में कार्यग्रहण करने के उपरान्त प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इसे तीन माह के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रसारित किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री राजेन्द्र कुमार दुबे द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के हृदय रोग से पीड़ित होने एवं पारिवारिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन सीकर/जयपुर/चूरू अथवा नागौर जिले में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय निर्णय एवं विभागीय दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी वर्ष 2015 से लगातार सीकर जिले में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। इस प्रकार करीब 5 वर्ष बाद उन्हें अन्यत्र पदस्थापित किया गया है। याचिकार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक आवश्यकता में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवानदास मित्तल बनाम राज्य सरकार प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी लोक सेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्री राजेन्द्र कुमार दुबे द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाता है। श्री दुबे विभागीय आदेश दिनांकः 24.08.2019 की अनुपालना में राउमावि लुणा खुर्द, पोकरण जिला जैसलमेर में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/राजेन्द्र दुबे/17285/2019 दिनांकः 05.06.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जैसलमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)